चमकेगा चर्म उद्योग, फ्लैटेड फैक्ट्री शुरू करने की तैयारी

आज से क्रस्ट लेदर से निर्यात व ब्लू वेट से खत्म होगा आयात शुल्क

6000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज उत्तर भारत में चमड़ा कारोबार को मजबूत करेगा

टेनरी में चर्म उत्पाद बनाते कर्मियों की फाइल फोटो ● टेनरी प्रबंधन

जागरण संवाददाता, कानपुर : यूं तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बजट के प्रविधान एक अप्रैल से लागू हो जाएंगे लेकिन कानपुर के चर्म उद्योगों के लिए एक अप्रैल अच्छे बदलाव लेकर आ रहा है। पिछले कई वर्ष से क्रस्ट लेदर के निर्यात और ब्लू वेट के आयात पर से कस्टम ड्यूटी खत्म की जा रही है। इसके साथ ही जीएसटी और आयकर में भी कई नियम एक अप्रैल से लागू होंगे। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम भी इसी माह होजरी के क्षेत्र में अपनी फ्लैटेड फैक्ट्री भी शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही बजट में चर्म उद्योग के लिए जो प्रमुख घोषणाएं की गई है, वे भी मंगलवार से लागू हो जाएंगी। चर्म निर्यात परिषद पिछले कई वर्ष से कच्चे चमड़े यानी क्रस्ट लेदर के निर्यात से शुल्क हटाने की मांग कर रहा था ताकि यहां का कच्चा चमड़ा कम कीमत पर दुनिया के देशों को निर्यात किया जा सके। कम कीमत होने से दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा भी की जा सकती है क्योंकि कीमत बढ़ते ही यहां का कच्चा चमड़ा वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाता है। इसके साथ ही ब्लू वेट लेदर के आयात से भी शुल्क कम करने की मांग की जा रही थी। चर्म निर्यात परिषद के अध्यक्ष आरके जालान ने इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रखा था। चर्म निर्यात परिषद के रीजनल चेयरमैन असद इराकी ने भी इसके संबंध में पत्र लिखा था। बजट में इस पर से भी शुल्क हटाने का प्रस्ताव किया गया था जो एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। ऐसा होने पर निर्यात से जुड़े जिन उत्पादों को बनाने के लिए अच्छे चमड़े की जरूरत पड़ती है, उसे कम कीमत पर लाया जा सके। आयात शुल्क न होने से इस उत्पाद की लागत कम हो जाएगी। इससे जब माल को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उतारा जाएगा तो उसकी कीमत कम होगी और उस पर आर्डर मिलने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही 6000 करोड़ रुपये के चमड़ा उद्योग को दिए जाने वाले विशेष पैकेज से चर्म क्लस्टर बनाए जाएंगे। पूरे देश में छह क्लस्टर बनाने की बात रखी गई है, इनमें से दो को उत्तर प्रदेश में बनाने का प्रस्ताव है। इसमें कोई भी क्लस्टर पार्क 300 एकड़ से छोटा नहीं होगा।